

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उ०नि० स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

आदेश

उद्योग निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-4573 दिनांक-14.12.18 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार, नव प्रोन्नत लेखापाल, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को कार्य हित में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में की गई प्रतिनियुक्ति को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद के अनुरोध के आलोक में समाप्त किया जाता है।

2. श्रीमती संगीता कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को कार्य हित में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव में उद्योग निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. शेष यथावत रहेगा।

ह०/-
अपर उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उ०नि० स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/वैशाली/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उ०नि० स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली/औरंगाबाद/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 446

/पटना, दिनांक 21.1.19

सं०सं०-1/उ०नि० स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/01/19
अपर उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।